

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद गोण्डा में गोण्डा-उतरौला-डुमरियागंज मार्ग पर गोरखपुर कैन्ट गोण्डा रेल सेक्शन के किमी0 654/5-6 बरूवाचक-गोण्डा रेलवे स्टेशन के मध्य लेविल क्रॉसिंग संख्या-257 सोनी गुमटी पर 04 लेन रेल उपरिगामी ओवरब्रिज के निर्माण में प्रभावित 1.24014 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 177 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/144323/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-201/81-2-2022-800(190)/2022 दिनांक 01/07/2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 01-07-2022 16:51:18

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

(सचिव,)

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित
उत्तर प्रदेश शासन।